न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 90/2012 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

दान्या पुत्र विरजा जाति मीना निवासी ग्राम जयचौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर (राज0)

............अपीलान्ट

बनाम

1. गजेन्द्र पुत्र गनपत
2. गनपत (मृत)
2/1. डालचन्द पुत्र गनपत
2/2. राजेन्द्र पुत्र गनपत
3. हरगोविन्द (मृत)
3/1 रमेश पुत्र हरगोविन्द

} जाति मीना निवासी जयचौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर ।

4. मोहनसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति मीना निवासी बंजी तहसील व जिला भरतपुर
5. गोपीचन्द
6. गपूरचन्द

} पि0 माधोसिंह जाति मीना निवासी जयचौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..............रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दाखिल खारिज संख्या 997 दिनांक 09.07.2010 नायव तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री सोनीराम शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री राजेन्द्र सिंह, वकील रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक – 28.02.2020

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत नायव तहसीलदार उच्चैन की आज्ञा दिनांक 09.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आदेश दाखिल खारिज संख्या 997 दिनांक 09.07.2010 ग्राम जयचौली तहसील रूपवास खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसिल है। आराजी खसरा नम्बर 88／2.05 ग्राम जयचौली तहसील रूपवास मृतक कजौडा पुत्र विरजा की कब्जे एवं खातेदारी का था। कजोडा फौत हो चुका है उसके पत्नी व बच्चे नहीं है केवल अपीलान्ट छोटा भाई ही एक मात्र वारिस है और कजौडा की मृत्यु के बाद उक्त रकवा पर विरासतन काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। रैस्पोडेन्टान का आराजी खसरा नम्बर 88／2.05 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। मगर रैस्पोडेन्टान ने चालाकी से मृतक कजौडा के विरूद्ध एक दावा न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना में प्रस्तुत कर एकतरफा में डिक्री दिनांक 26.02.92 को पारित करा ली थी जिसकी जानकारी होते ही कजौडा ने रैस्पोडेन्ट के विरूद्ध उक्त निर्णय व डिक्री विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें स्थगन आदेश भी रैस्पोडेन्ट के विरूद्ध पारित किया गया है। अपील आज भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भतरपुर में जेर कार्यवाही है। रैस्पोडेन्टान द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साज करके बाबजूद स्थगन आदेश के उक्त डिक्री दिनांक 26.02.92 के आधार दाखिल खारिज नायव तहसीलदार उच्चैन से स्वीकार करा लिया है जो कानूनन गलत है। निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना से कजौडा की वल्दियत चिरंजी अंकित की गई है जबकि कजौडा की वल्दियत विरजा है जो कि राजस्व अभिलेख में भी अंकित है मगर इसको भी नजरन्दाज करते हुये दाखिल खारिज स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। दाखिल खारिज करने से पूर्व न तो तत्कालीन पटवारी हल्का से स्थगन आदेश बाबत जांच की और ना ही उस ओर ध्यान दिया गया है। डिक्री दिनांक 26.02.92 की है जिसे 12 वर्ष का समय भी समाप्त हो गया है डिक्री म्याद बाहर होने से काबिल इजराय नहीं थी। इजराय जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। विवादित दाखिल खारिज दिनांक 09.07.2010 को स्वीकार किया गया है जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। अपीलान्ट दिनांक 30.11.2010 को पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड हेतु जमाबन्दी लेने गया तब दाखिल खारिज का पता चला। अपीलान्ट ने उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 30.11.2010 को नकल प्राप्त की। अपील जानकारी से अन्दर म्याद पेश की है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 09.07.2010 को निरस्त फरमाने जाने का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। नायब तहसीलदार उच्चैन से नामान्तरकरण की सत्य प्रतिलिप प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रैस्पोडेन्ट का आराजी खसरा नम्बर 88 / 2.05 से कोई लेना देना नहीं है। रैस्पोडेन्ट ने चालाकी से कजौडा के विरूद्ध एक दावा सहायक कलक्टर बयाना के यहां प्रस्तुत कर इकतरफा में दिनांक 26.02.1992 को डिग्री पारित करा ली थी। अपीलान्ट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही जानकारी हुई सहायक कलक्टर बयाना के निर्णय व डिग्री दिनांक 26.02.1992 के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने दिनांक 01.05.2007 को सहायक कलक्टर बयाना के निर्णय व डिग्री की पालना स्थगित रखी जाने के आज्ञा पारित की गई। योग्य अभिभाषाक अपीलान्ट का यह भी कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश होते हुये विवादित नामान्तरकरण स्वीकार कर कानूनी त्रुटि की है। इनका यह भी कहना है कि डिग्री की म्याद 12 वर्ष होती है। निर्णय डिग्री दिनांक 26.02.1992 के तहत 12 साल बाद विवादित नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जो नियम विरूद्ध होने से काबिल खारिज के रहता है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का के पास क्रेडिट कार्ड हेतु जमाबन्दी लेने गया तब हुई थी। उसी दिन दिनांक 30.11.2010 को नकल प्राप्त कर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। देरी को माफ करने के लिये म्याद अधिनियम धारा 5 में शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर नियम विरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांक 09.07.2010 निरस्त किया जावे। योग्य अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में आरबीजे 2000 पेज 400, आरआरडी 2001 पेज 53, आरआरडी 1989 पेज 771 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने जाहिर कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है। उन्होने जाहिर किया कि नायब तहसीलदार उच्चैन ने सहायक कलक्टर बयाना के निर्णय डिग्री दिनांक 26.02.1992 की पालना में विवादित नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांक 09.07.2010 स्वीकार किया गया है, जिसमें नायब तहसीलदार उच्चैन कोई त्रुटि नहीं की है। योग्य अभिभाषक रैस्पो0 का कहना कि निर्णय डिग्री पालना हेतु इजराय 12 साल की अवधि से पूर्व ही पेश की गई। आदेश कब हुआ यह मायने नहीं रखता है। योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में

आरआरडी 1992 पेज 356, आरआरडी 2005 (2) पेज 774 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा उद्धरित रूलिंग का अध्ययन किया गया। प्रथमतः म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रकरण की मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांक 09.07.2010 न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना के निर्णय दिनांक 26.02.1992 की पालना में खोला गया है। चूंकि निर्णय व डिग्री दिनांक 26.02.1992 के अनुसार ही नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये। न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना के निर्णय व डिग्री दिनांक 26.02.1992 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि प्रतिवादी कजौडा पुत्र चिरंजी है जबकि नायव तहसीलदार उच्चैन के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांक 09.07.2010 में कजोडा पुत्र विरजा लिखा गया जो कि डिग्री दिनांक 26.02.1992 से भिन्न है। अतः ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांक 09.07.2010 को न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना के निर्णय व डिग्री दिनांक 26.02.1992 के अनुसार खोला जाना नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण को डिग्री दिनांक 26.02. 1992 के अनुसार खोला जाना नहीं माना जा सकता है। अतः अपील नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांक 09.07.2010 निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाना एवं प्रकरण नायव तहसीलदार उच्चैन को विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है। अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांक 09.07.2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार उच्चैन को विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार उच्चैन को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर